

**अनुसूची**  
( धारा 2 और 3 देखिये )

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित से विधान सभा द्वारा अनुदत्त	अनधिक राशियां संचित निधि पर भारत	योग	
(1)	(2)	(3)			
		₹	₹	₹	
	भारत विनियोग- ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व	0	100	100
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व	3,10,00,000	0	3,10,00,000
		पूंजी	20,00,000	0	20,00,000
03	पुलिस	राजस्व	300	0	300
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	पूंजी	100	0	100
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	100	0	100
08	भू राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	8,77,01,500	0	8,77,01,500
10	वन	राजस्व	2,01,20,00,000	6,07,752	2,01,26,07,752
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	13,00,00,000	0	13,00,00,000
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	1,81,08,00,000	0	1,81,08,00,000
13	कृषि	राजस्व	100	0	100
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	200	0	200
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	1,05,00,00,000	0	1,05,00,00,000
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	पूंजी	4,30,22,00,000	0	4,30,22,00,000
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	5,00,00,100	0	5,00,00,100
		पूंजी	3,00,00,100	0	3,00,00,100
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राजस्व	60,00,00,000	0	60,00,00,000
		पूंजी	40,00,02,300	0	40,00,02,300
25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय	पूंजी	100	0	100
28	राज्य विधान मंडल	राजस्व	0	10,00,000	10,00,000
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	2,14,70,000	0	2,14,70,000
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	55,02,43,600	6,00,000	55,08,43,600
		पूंजी	1,60,62,50,000	0	1,60,62,50,000
32	जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	40,00,00,000	0	40,00,00,000
33	आदिम जाति कल्याण	राजस्व	3,00,00,00,100	0	3,00,00,00,100
37	पर्यटन	पूंजी	100	0	100
39	खाद्य , नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	3,50,00,00,000	0	3,50,00,00,000
41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	राजस्व	7,65,50,31,900	0	7,65,50,31,900
		पूंजी	4,86,46,78,500	0	4,86,46,78,500
42	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल	पूंजी	18,400	0	18,400
43	खेल और युवक कल्याण	राजस्व	10,95,00,100	0	10,95,00,100
44	उच्च शिक्षा	राजस्व	15,00,00,100	0	15,00,00,100
47	कौशल विकास , तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	पूंजी	47,00,00,000	0	47,00,00,000

**अनुसूची**  
( धारा 2 और 3 देखिये )

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित से विधान सभा द्वारा अनुदत्त	अनधिक राशियां संचित निधि पर भारित	योग	
(1)	(2)	(3)			
		₹	₹	₹	
51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राजस्व	33,48,100	0	33,48,100
		पूंजी	100	0	100
55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	राजस्व	2,90,01,000	0	2,90,01,000
		पूंजी	3,83,36,000	0	3,83,36,000
56	ग्रामोद्योग	राजस्व	1,11,56,000	0	1,11,56,000
64	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	2,65,38,44,100	0	2,65,38,44,100
		पूंजी	1,96,56,72,800	0	1,96,56,72,800
66	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण	राजस्व	1,50,00,00,000	0	1,50,00,00,000
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग - नगरीय कल्याण	राजस्व	3,000	0	3,000
		पूंजी	200	0	200
71	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	पूंजी	86,68,00,000	0	86,68,00,000
76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशो से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	पूंजी	300	0	300
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	36,00,00,300	0	36,00,00,300
		पूंजी	1,14,28,04,200	0	1,14,28,04,200
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	3,00,00,000	0	3,00,00,000
योग	राजस्व		25,74,51,00,600	22,07,852	25,74,73,08,452
	पूंजी		15,68,87,63,200	0	15,68,87,63,200
वृहद योग			41,43,38,63,800	22,07,852	41,43,60,71,652